2021/31

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्रीमती अकीलाबानो पुत्र श्री सेफूरहमान
जाति मुसलमान
निवासी डॉ सम्पूर्णानन्द कॉलोनी वार्ड नं. 12
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 53 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.05.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनांक 12.03.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को दिनांक 24.02.2020 को परित्यक्ता पेंशन में बढोतरी से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया था उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनांक 12.03.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को दिनांक 24.02.2020 को परित्यक्ता पेंशन में बढोतरी से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया था उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:20:57 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner